



2026:AHC:56903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1330 / 2026

प्रेम कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राकेश सिंह यादव

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में, एक सीलबंद लिफाफा प्राप्त हुआ है, जिसे आज न्यायालय में खोला गया है। लिफाफे में संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट के साथ अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट भी है। पीड़िता के अस्थि-निर्माण परीक्षण से पता चलता है कि पीड़िता की आयु लगभग 21 वर्ष है और इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.02.2026 में बताया है कि मामले के प्रथम सूचनादाता को जारी किया गया नोटिस तामील कर दिया गया है, नोटिस तामील होने के बावजूद सूचनादाता या उच्च न्यायालय विधिक सेवा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अस्थि-निर्माण परीक्षण के अनुसार, पीड़िता की आयु 21 वर्ष के आसपास है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयानों से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने अपनी सहमति से यह अपराध किया है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता एक सहमति देने वाली पक्षकार है और आवेदक को किसी परोक्ष उद्देश्य के लिए इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 08.09.2025 से जेल/कारागार में है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः, जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **प्रेम कुमार**, मुकदमा अपराध संख्या 106/2025 अंतर्गत धारा 87, 137 (2), 65(1) बी.एन.एस. और धारा 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन - दुभाद, जिला - बलिया, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो स्थानीय भारी जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को न ही धमकाएगा या परेशान करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

मार्च 18, 2026

एस.अली

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।